

कार्यकारी सारांश

संदर्भ:

बीटी कॉटन भारत में उपयोग की जाने वाली पहली पारंपरिक आशोधित फसल है। भारत में कपास का उत्पादन मुख्यतः बीटी कॉटन हाइ-ब्रिड्स के द्वारा डोमिनेट है जिसे वर्ष 2002 में वाणिज्यिक उत्पादन के लिए अनुमोदित किया गया। वर्तमान में 90 प्रतिशत से अधिक कपास क्षेत्र में हाइब्रिड बीटी कॉटन उगाई जा रही है।

कई अध्ययनों से पता चला है इस तकनीक से किसानों को लाभ हुआ है तो अन्य अध्ययनों में चिंता व्यक्त की गई है कि लंबे समय में इसके नुकसान हो सकते हैं। अतः भारत में विभिन्न क्षेत्रों में बीटी कॉटन के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए यह अध्ययन किया गया है।

उद्देश्य

1. विश्व कपास उत्पादन और व्यापार के स्थान का एवं अल्पकाल का विश्लेषण करना।
2. भारत में कपास के क्षेत्र, उत्पादन, उत्पादकता और कृषि निवेश के रुझान का विश्लेषण करना।
3. विभिन्न राज्यों में बीटी कॉटन की सिंचाई की लागत और शुद्ध लाभ का विश्लेषण करना।
4. बीटी कॉटन उपजों हेतु कृषि वैज्ञानिक पहलुओं का विश्लेषण करना।
5. विभिन्न खेतों के आकारों पर किसानों के स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, आधारभूत एवं अन्य आजीविका की स्थिति पर बीटी कॉटन की आय के प्रभाव का विश्लेषण करना।
6. श्रम रोजगार और भूमिहीन श्रमिकों की आय पर बीटी कॉटन के प्रभाव का विश्लेषण करना।

पद्धतिगत और आंकड़े स्रोत

कृषि वर्ष 2010-11 के लिए 9 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के चुने हुए जिलों में एक प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया था। यह अध्ययन देश भर में 1050 किसानों और 300 कृषि श्रमिकों के कुल सैंपल साइज पर आधारित था। वर्तमान अध्ययन केवल 1 वर्ष की किसान जनसंख्या के कास सैक्शनल विश्लेषण हैं और प्राप्त की गई सूचना की सरकारी स्रोतों से प्राप्त सेकेंडरी आंकड़े से तुलना की गई है। यह कठिन था कि केवल 1 वर्ष के अध्ययन को पिछले वर्षों में उपयोग में लाई गई जनसंख्या के आंकड़ों से तुलना की जाए अतः किसानों को दुबारा बुलाने की पद्धति का उपयोग साक्षात्कार में किया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न मुद्दों के संबंध में किसानों की अवधारणा के आधार पर भी सूचना तैयार की गई।

सेकेंडरी आंकड़े स्रोतों में कृषि मंत्रालय, आर्थिक सर्वेक्षण, भारत सरकार, यूएसडीए, यूएनसीटीएडी और एफएओएसटीएटी शामिल हैं।

वर्ष 2002-03 में ही केंद्रीय और दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों में भारत में बीटी कॉटन की वाणिज्यिक सिंचाई आरंभ की गई। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित उत्तरी क्षेत्र में वर्ष 2005-06 में ही उत्पादन आरंभ किया गया। अतः इस अध्ययन में केंद्रीय और दक्षिणी राज्यों की पोस्ट बीटी कॉटन की अवधि को वर्ष 2002-03 से लिया गया है जबकि उत्तरी राज्यों के लिए वर्ष 2005-06 से अवधि को लिया गया है।

मुख्य निष्कर्ष:

कीटनाशकों का उपयोग

यह पाया गया है कि देश में कीटनाशक का उपयोग बीटी कॉटन अवधि (1996 से 2001 तक) की तुलना में पोस्ट बीटी कॉटन अवधि (2002 से 2009 तक) के बाद 54.54 प्रतिशत कम हो गया। किसानों का कहना है कि बीटी कॉटन आने से, यद्यपि बॉलवार्म की क्षति में कमी आई है, सकिंग पैस्ट की क्षति में वृद्धि हुई जिसे बीटी कॉटन तकनीक से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। पिछले 2 वर्षों से कीटनाशकों के उपयोग में वृद्धि दर में कमी आई है। अतः कपास की फसल में हॉल ही के वर्षों में कमी के कारण कुछ सीमा तक सकिंग पैस्ट के आक्रमण में वृद्धि को दिया जा सकता है।

निर्यात

निर्यात के विषय में यह देखा गया कि निर्यात के मूल्य में भारत का अंश टीई 1 वर्ष 2000 में 0.75 प्रतिशत था जो टीई 2009 में बढ़कर 10.53 हो गया। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि कपास निर्यात की मात्रा बीटी कॉटन से पहले की अवधि (वर्ष 1990 से 2001 तक) -24.6 प्रतिशत थी, और इसका मूल्य -21.3 प्रतिशत था। किंतु बीटी कॉटन अवधि (2002 से 2009 तक) के बाद यह निर्यात बढ़कर 75 प्रतिशत तक पहुंच गया। इस प्रकार बीटी कॉटन के आगमन से भारत जो पहले शुद्ध आयातक था वह कपास का शुद्ध निर्यातक बना गया।

कपास का क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता

वर्ष 2002-03 से बीटी कॉटन की सिंचाई से पहले कपास के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता वर्ष 2002 और 2011 के बीच बढ़कर क्रमशः 4.91, 9.25 और 4.5 प्रतिशत हो गई। पिछले दशक में वृद्धि दर में उछाल से प्रतीत होता है कि भारत में किसानों की रुचि में बीटी कॉटन ने अपना स्थान बना लिया है। किंतु बीटी कॉटन की अवधि आने के बाद भी अस्थिरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जिसे विभिन्न स्तरों पर मापा गया। औसत कपास उत्पादकता भी दर्शाती है कि वर्ष 2008-09 से कुछ कमी आई है जिसके निम्न कारण हो सकते हैं:-

- आंशिक भूमि (वर्षा आधारित क्षेत्रों में बंजर भूमि) जिसे कपास सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत लाया जा रहा था।
- अस्थिर मौसम की परिस्थितियां विशेषकर वर्षा।
- चालू बीटी तकनीक के द्वारा नियंत्रित न होने वाली सकिंग पैस्ट के आक्रमण में वृद्धि।

अनुसंधान के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2009-10 से कपास का अधिकतम औसत क्षेत्र महाराष्ट्र (38 लाख हेक्टेयर), गुजरात (27.6 लाख हेक्टेयर) और आंध्र-प्रदेश (17.07 लाख हेक्टेयर) था। किंतु इन राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र ने पिछले 3 वर्षों में कपास की उत्पादकता में समान वृद्धि दर्ज नहीं की क्योंकि बहुत कम भूमि पर कपास उगाई जा रही थी।

पिछले 3 वर्षों में कपास की उच्चतम औसत उत्पादकता तमिलनाडु (943.67 कि.ग्रा./हेक्ट.) में थी जिसका कपास का औसत क्षेत्र केवल 1.19 लाख हेक्टेयर ही था। तमिलनाडु के बाद गुजरात (659.33 कि.ग्रा./हेक्ट.) और आंध्र-प्रदेश (564.33 कि.ग्रा./हेक्ट.), इसमें अधिक कपास का क्षेत्र दिखाया गया है (20 लाख हेक्ट. से ऊपर)। इन राज्यों के बाद हरियाणा (553 कि.ग्रा./हेक्ट.), पंजाब (538.67 कि.ग्रा./हेक्ट.) और राजस्थान (506.33 कि.ग्रा./हेक्ट.) का नंबर आता है जहां पर कपास का क्षेत्र लगभग 5 लाख हेक्टेयर था।

कपास के क्षेत्र में अधिकतम क्षेत्र रखने वाले महाराष्ट्र की उत्पादकता सबसे कम (336 कि.ग्रा./हेक्ट.) थी। मध्य-प्रदेश में कपास का क्षेत्र 6.53 लाख हेक्टेयर था किंतु इसकी तदुनुरूपी उत्पादकता 437.33 कि.ग्रा./हेक्ट. थी। महाराष्ट्र और मध्य-प्रदेश के कुछ पॉकेट प्रमुख रूप से वर्षा आधारित हैं और इनमें बंजर भूमि तथा अस्थिर वर्षा पर भी आधारित है। अतः इन्हें राज्यों में पारंपरिक कपास उत्पादक क्षेत्रों की तुलना में आंशिक भूमि के राज्य कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में अधिक क्षेत्र होने पर भी उत्पादकता में कमी दर्शायी गई है। अतः यह कहा जा सकता है कि आंशिक भूमियों पर कपास क्षेत्रों में वृद्धि होने के बाद भी कपास की समग्र उत्पादकता कम हुई है।

उर्वरक का उपयोग

कपास में उर्वरक के उपयोग के बारे में यह देखा गया है कि प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग वर्ष 2007-08 से बढ़ा है। बीटी कॉटन की अवधि से पहले (1996 से 2001 तक) प्रति हेक्ट. 95 कि.ग्रा. उर्वरक का औसत उपयोग था जो बीटी कॉटन की अवधि (2002 से 2008 तक) के बाद 120 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर हो गया। कुल दर्शायी गई लागत की तुलना में उर्वरक लागत का अनुपात बीटी कॉटन की अवधि के बाद बढ़ा है क्योंकि उर्वरक के मूल्यों में वृद्धि हुई और बीटी कॉटन से अधिक लाभ मिलने के कारण किसानों की खरीद शक्ति भी बढ़ी।

बीजों का उपयोग

सेकेंडरी स्रोत दर्शाते हैं कि बीटी कॉटन की अवधि (1996 से 2001 तक) से पहले कुछ कपास के बीजों का उपयोग 9.23 कि.ग्रा./हेक्ट. था जो बीटी कॉटन अवधि (2002-08) के बाद कम होकर 4 कि.ग्रा./हेक्ट. रह गया। क्षेत्रीय सर्वेक्षण में पाया गया कि बीटी कॉटन में बीजों का उपयोग 2 कि.ग्रा./हेक्ट. था। कम बीजों का उपयोग करने के बाद भी किसान अधिक उत्पादकता कर रहे हैं और उन्हें उच्च लाभ भी मिल रहा है।

बीजों का स्रोत

सर्वेक्षण किए गए क्षेत्रों में विभिन्न बीज कंपनियों से बीटी कॉटन बीजों का उपयोग करने वाले किसानों के अनुपात के संबंध में यह पाया गया कि किसानों का उच्च अनुपात (25.14 प्रतिशत) न्यूजिविडो सीड्स प्रा.लि. के बीजों का उपयोग करता है इसके बाद श्री राम बायोसीड्स जैनेटिक्स (20.57 प्रतिशत), राशि सीड्स प्रा.लि. (19.24 प्रतिशत), अंकुर सीड्स प्रा.लि. (17.24 प्रतिशत), बेयर बायोसाईसिस प्रा.लि. (14.95 प्रतिशत), माहिको लि. (13.62 प्रतिशत) और मॉनसेंतो होल्डिंग्स प्रा.लि. (6.29 प्रतिशत) का नंबर आता है।

सिंचाई

प्रति हेक्टेयर औसत सिंचाई की लागत बीटी कॉटन अवधि (1996-2001) से पहले 355 रु./हेक्टेयर थी जो बीटी कॉटन अवधि (2002-2008) के बाद बढ़कर 813 रु./हेक्टेयर हो गई क्योंकि डीजल के मूल्य बढ़ चुके थे। किंतु कुल लागत की तुलना में सिंचाई लागत के अनुपात में बीटी कॉटन की अवधि से पहले कमी दर्शायी गई।

श्रम

पिछले कई वर्षों से कपास की जुताई में कुल कपास की लागत की तुलना में मानव श्रम की लागत का अनुपात उच्चतम था। यह विभिन्न राज्यों में 25 और 50 प्रतिशत के बीच था। बीटी कॉटन अवधि (1996-2001) से पहले मानव श्रम का

उपयोग 95 व्यक्ति – दिन/हेक्टेयर था जो बीटी कॉटन अवधि (2002–2008) के बाद 104 व्यक्ति – दिन/हेक्टेयर हो गया क्योंकि उच्च उत्पादकता के कारण कटाई कार्य बढ़ गया था। क्षेत्रीय सर्वेक्षण में यह देखा गया कि भूमिहीन श्रमिकों के औसत दैनिक वेतन बीटी कॉटन की अवधि से पहले की तुलना में बीटी कॉटन अवधि के बाद 80 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गए, से सभी कृषि कार्यों के लिए थे और सर्वे किए गए सभी क्षेत्रों में बढ़े थे। पुरुष श्रमिकों की तुलना में महिला श्रमिकों के वेतन में 10 गुना अधिक की वृद्धि हो चुकी थी। अखिल भारतीय स्तर पर श्रमिक वेतनों के संबंध में यह देखा गया कि वे फसलोपरांत कार्यों के लिए अत्यधिक थे और इसके बाद छंटाई (पिकिंग) का वेतन अधिक था।

मशीनी श्रम

बीटी कॉटन अवधि (1996–2001) से पहले मशीनी श्रम की प्रति हेक्ट. औसत लागत 732.06 रु./हेक्ट. थी जो बीटी कॉटन अवधि (2002–2008) के बाद 1408.07 रु./हेक्ट. हो गई। प्रमुख उत्पादक राज्यों में बीटी कॉटन अवधि से पहले मशीनी श्रम की लागत में पर्याप्त वृद्धि दर्शायी गई है। बीटी कॉटन अवधि के बाद में मशीनी श्रम की लागत को कुल लागत के अनुपात के रूप में अधिक दर्शाया गया है।

जनसांख्यिकी (डेमोग्राफिक्स)

क्षेत्रीय सर्वेक्षण में यह पाया गया कि देश भर में बीटी कॉटन उत्पादक छोटे किसान (53.71 प्रतिशत) थे, मझोले किसान (36.76 प्रतिशत) और इसके बाद बड़े किसान (9.52 प्रतिशत) थे। इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में सर्वे किए गए सभी किसानों (100 प्रतिशत) ने बीटी कॉटन उगाई। प्रमुख रूप से किसानों ने बीटी कॉटन सह-किसानों (72 प्रतिशत) इसके बाद बीज व्यापारियों (22 प्रतिशत), एक्सटेंशन वर्कर्स (3 प्रतिशत) और सामाजिक मीडिया (3 प्रतिशत) से सीखी।

कुल कपास क्षेत्र के अनुपात के रूप में कुल हाईब्रिड बीटी कॉटन का क्षेत्र 90 प्रतिशत से अधिक था। हाईब्रिड बीटी कॉटन की औसत उत्पादकता अखिल भारतीय स्तर पर गैर-बीटी (देसी) कपास की तुलना में कुछ अधिक थी। बीटी कॉटन का क्षेत्र और उत्पादकता को निष्क्रिय पाया गया।

जुताई की लागत बनाम आय

कपास के मूल्यों के बारे में यह देखा गया कि औसत न्यूनतम समर्थन मूल्य कपास का बढ़ाया गया था जो बीटी कॉटन अवधि से पहले (1992–2001) 1363 रु./क्वि. था। वह बीटी कॉटन अवधि (2002–2011) के बाद 2242.50 रु. क्वि. हो गया। बीटी कॉटन अवधि के बाद कपासी की कटाई के मूल्य भी सभी राज्यों में बढ़ गए। किंतु न्यूनतम समर्थन मूल्य और कटाई के मूल्यों में काफी उतार चढ़ाव होने के कारण सभी राज्यों में पिछले कई वर्षों से कपास के कारोबार में अस्थिरता दिखाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2010–11 में देश के लॉग स्टेपल लैंथ कॉटन के न्यूनतम समर्थन मूल्य 3000 रु./क्वि. थे। क्षेत्रीय सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि सभी राज्यों के किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक पर कपास की बिक्री की और अखिल भारतीय औसत मूल्य 4377.43 रु./क्वि. रहा।

कपास की सिंचाई विश्लेषण की लागत (कुल कार्यशील पूंजी) से निकाली गई प्रति हेक्टेयर शुद्ध रिटर्न सभी क्षेत्रों में सकारात्मक पाई गई जिससे किसानों को बीटी कॉटन पर अच्छा लाभ मिला। अखिल भारतीय स्तर पर बीटी कॉटन से औसत शुद्ध रिटर्न 65307.82 रु./हेक्ट. थी। फार्म साइज क्लासिस के आसपास प्रति हेक्ट. शुद्ध रिटर्न निष्क्रिया पाई

गई। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि बीटी कॉटन से कुल आय या शुद्ध रिटर्न अन्य गैर-कृषि स्रोतों से काफी अधिक थी।

कृषि मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों में देखा गया कि बीटी कॉटन अवधि (2002-2009) के बाद सिंचाई की औसत प्रति हेक्ट. लागत बीटी कॉटन अवधि (1996-2001) से पहले की तुलना में 67.68 प्रतिशत बढ़ गई। क्षेत्रीय सर्वेक्षण में यह पाया गया कि बीटी कॉटन की उच्च लागत में मुख्य कारण मानव श्रम (कुल लागत का 52.69 प्रतिशत) का था जो पौधे लगाने, छंटाई और कटाई के लिए था, इसके बाद उर्वरक की लागत (10.84 प्रतिशत), बीज (9.61 प्रतिशत) और मशीनीकरण (8.86 प्रतिशत) था। बीटी कॉटन अवधि से पहले की तुलना में बीटी कॉटन अवधि के बाद में उत्पादन का प्रति हेक्ट. मूल्य पर सेकेंडरी डाटा भी 94.06 प्रतिशत हो गया। बीटी कॉटन अवधि से पहले की तुलना में बीटी कॉटन अवधि के बाद प्रति हेक्ट. उत्पादन के मूल्य और शुद्ध रिटर्न के प्रतिशत में भी काफी अधिक परिवर्तन था जिसने भारत में प्रमुख उत्पादक राज्यों में बीटी कॉटन की सिंचाई की लागत प्रति हेक्टेयर की वृद्धि को भी एक ओर कर दिया था। यह दर्शाता है कि सिंचाई की अधिक लागत आने पर भी किसान बीटी कॉटन की बुआई से अधिक लाभ प्राप्त कर रहे थे।

किसानों द्वारा आत्महत्या

किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले में यह कहना है कि महाराष्ट्र और आंध्र-प्रदेश राज्यों में कुछ किसानों ने ही कृषि के कारण आत्महत्या की। केंद्रीय भारतीय क्षेत्र में किसानों ने आत्महत्या के लिए कम और अस्थिर वर्षा को दोषी ठहराया क्योंकि यह क्षेत्र वर्षा आधारित था, समय पर ऋण न मिलना और पिछले कई वर्षों से कपास के मूल्यों में उतार-चढ़ाव हो रहा था जिससे कतिपय वर्षों में कपास का उत्पादन जोखिम भरा था। संस्थाओं से समय पर ऋण मिलना एक चुनौती थी, इस कारण किसान गैर संस्था स्रोतों पर निर्भर थे जैसे साहूकार, आढ़ती, रिश्तेदार और मित्र। गैर-संस्था स्रोतों से सरलता से ऋण मिलता था किंतु उसकी ब्याज दर बहुत अधिक थी।

किसानों की धारणा

बीटी कॉटन के विभिन्न मुद्दों पर किसानों की धारणा के संबंध में यह देखा गया कि 94 प्रतिशत किसानों ने कहा कि बीटी कॉटन की उत्पादकता गैर बीटी कॉटन से 87 प्रतिशत अधिक है और 87 प्रतिशत ने कहा कि लाभ भी अधिक है। 84 प्रतिशत किसानों ने कहा कि बीटी कॉटन के लिए प्रति हेक्टेयर उपयोग किए जाने वाले बीजों की मात्रा गैर-बीटी कॉटन की तुलना में काफी कम है। किंतु 92 प्रतिशत किसानों ने कहा कि बीटी कॉटन के बीजों पर गैर बीटी कॉटन की फसल की तुलना में व्यय अधिक है। बहुत कम किसानों (2 प्रतिशत) ने कहा कि उन्हें नकली बीजों की समस्या का सामना करना पड़ा। सर्वे किए गए सभी जिलों में और विभिन्न कृषि आकार के वर्गों पर सभी अनुपात लगभग एक जैसे थे। 84 प्रतिशत किसानों ने कहा कि उन्होंने अपने बीटी कॉटन खेतों के साथ 'रिपयूज क्राप्स' के पौधे नहीं लगाए। इसका कारण यह था कि किसान अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना चाहते थे और अधिकतम क्षेत्रों पर अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहते थे। बीटी कॉटन पर उपयोग की गई कुल उर्वरक गैर बीटी कॉटन (46 प्रतिशत) की तुलना में कुछ अधिक (54 प्रतिशत) थी।

अखिल भारतीय स्तर पर 76 प्रतिशत किसानों ने कहा कि बीटी कॉटन के लिए कीटनाशकों के उपयोग की मात्रा पिछले कई वर्षों से कम रही और 71 प्रतिशत ने कहा कि बीटी कॉटन के लिए कीटनाशकों के उपयोग पर व्यय भी कम हुआ। बॉलवार्म्स के आक्रमण को कम करने के लिए बीटी कॉटन की भूमिका के संबंध में 90 प्रतिशत किसानों ने दावा किया

की बीटी कॉटन ने बॉलवार्म्स के आक्रमण को कम कर दिया है। सिंचाई व्यय के संबंध में किसानों के उच्च अनुपात (59 प्रतिशत) ने कहा कि बीटी कॉटन पर सिंचाई व्यय गैर बीटी कॉटन की तुलना में अधिक था।

सामाजिक – आर्थिक प्रभाव

क्षेत्रीय सर्वेक्षण में यह भी पाया गया है कि बीटी कॉटन से प्राप्त अधिक लाभ के कारण किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के रहन-सहन की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। औसतन 85 प्रतिशत किसान और भूमिहीन श्रमिकों ने अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए निवेश किया, 77 प्रतिशत ने उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक आहार पर व्यय किया, 70 प्रतिशत ने मनोरंजन और सामाजिक फंक्शन, 75 प्रतिशत ने अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य और 64 प्रतिशत ने पशुओं के स्वास्थ्य पर निवेश किया।

संपादकीय

भारत कृषक समाज (बीकेएस) ने 24 मई, 2012 को नई दिल्ली में खाद्य सुरक्षा पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें खाद्य सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे कृषि उत्पादन, वितरण, खाद्य कीमतों, स्वास्थ्य, आर्थिक निहितार्थ, विनियामक पहलुओं तथा भविष्य दृष्टिकोण पर चर्चा की गई।

इस सम्मेलन में निम्न वक्ता थे; प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक; श्री चन्द्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार; श्री एन.के. सिंह, उपाध्यक्ष, योजना बोर्ड, बिहार सरकार; श्री टी. नंदा कुमार, पूर्व कृषि सचिव; श्री आलोक सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम; श्री बिरज पटनायक, प्रधान सलाहकार, आयुक्तों के कार्यालय से खाद्य के अधिकार प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में; श्री पी.वी. सतीश, संयोजक, मिलैट नेटवर्क ऑफ इंडिया/निदेशक, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी; श्री मानस रंजन, कार्यक्रम प्रबंधक, एक्शनऐड।

बीकेएस की प्रशासकीय समिति की बैठक 11 जून, 2012 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। समाचारपत्र बारिश में मामूली सी देरी की खबर दे रहे हैं। हमारे देश में जहां इतने सारे मानसून पैटर्न हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं वहां हम कभी भी वास्तविक परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। भविष्यवाणियां तहसील/तालुका के हिसाब से करनी चाहिए जिससे की वह व्यक्तिगत किसानों के उपयोग में आ सके।

जब मैं बेंगलोर में एक संवाददाता सम्मेलन के लिए गया था तब मैंने वहां कर्नाटका प्रदेश कृषक समाज के कार्यालय का दौरा किया तथा वहां के कार्यकारी अध्यक्ष श्री बाल्लपा बासप्पा बैलकोड़ और कार्यकारी सदस्यों के साथ चर्चा भी की। मैंने उनको अपने गांव आने के लिये भी आमंत्रित किया।

हम सरकार द्वारा की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा को अस्वीकार करते हैं जो कि धान की आम ग्रेड किस्म के लिए बढ़ाकर रु. 1,250/- प्रति क्विंटल तथा 'ए' ग्रेड किस्म के लिए रु. 1,280/- कर दिया गया है तथा कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मीडियम स्टेपल का बढ़ाकर रु. 3,600/- प्रति क्विंटल तथा लांग स्टेपल का रु. 3,900/- कर दिया गया है। यह इनपुट लागत में वृद्धि को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

पंजाब के किसानों से आधिकारिक तौर पर संकर बीटी कपास के बीजों के लिए उच्च कीमत वसूली जा रही थी। श्री सुनिल जाखड़, पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता द्वारा विधानसभा में विचार-विमर्श करने से सरकार को बिज के पैकेट के अधिकतम खुदरा मूल्य को कम करने के लिये मजबूर होना पड़ा। फलस्वरूप किसान अकेले कपास के बीज की लागत के कारण रु. 12 करोड़ के अतिरिक्त खर्च से बच पाया।

प्रो. अभिजित सेन, सदस्य, योजना आयोग ने कहा कि जीएम फसलें यहां रहने के लिये हैं। श्री जयराम रमेश ने स्वीकार किया है बीटी कपास का उपयोग करने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है तथा हमें उनके द्वारा लिये गये इस तर्कसंगत निर्णय का सम्मान करना चाहिए। श्री जेम्स सुरोवीकी की किताब 'विस्डम ऑफ कौउड्स' से एक साधारण से विचार का पता चलता है कि लोगों के बड़े समूह कुछ एक कुलीनों से कुछ ज्यादा समझदार हैं; कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह समस्याओं को सुलझाने, नवाचार को बढ़ावा देने, बुद्धिमान निर्णय लेने में, यहां तक कि भविष्य की भविष्यवाणी करने में कितने बेहतर हैं। 70 लाख कपास के किसानों का ज्ञान निश्चित रूप से कुछ व्यक्तियों तथा एनजीओ से ज्यादा होगा जो कि किसान की समृद्धि और विकल्प का विरोध कर रहे हैं।

सामाजिक विकास के लिए परिषद् द्वारा किये गये अध्ययन 'बीटी कपास की सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन' जिसे भारत कृषक समाज ने कमीशन किया था के मुख्य निष्कर्ष मेरे निजी अनुभव और भारत में ज्यादातर खेतों जहां का मैंने दौरा किया है उनको मान्य करते हैं। संकर बीटी कपास से किसानों की स्थिति हर दिन बेहतर होती जा रही है। 90 प्रतिशत से अधिक कपास के किसान लगभग पिछले 10 वर्षों से अपने खेतों में बीटी कपास उगा रहे हैं। बीटी प्रौद्योगिकी से पहले की तुलना में अधिक कपास गेंदें प्रति एकड़ परिपक्व होती हैं, कम कीटनाशक के उपयोग के साथ वह उच्च प्रति एकड़ उपज लाभ देने के लिए सक्षम बनाता है।